

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ०प्र०
जगत नारायण रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—मा०शि०क०/संस्थागत प्रसव—प्रोत्साहन/दिशा—निर्देश/2014-15/9815-15 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014
विषय— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों के लिये संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिये “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।
महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरम्भ होने के बाद से राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों की सेवा की माँग में लगातार एवं निश्चित वृद्धि हुई है। विगत 7-8 वर्षों में जननी सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन से राजकीय प्रसव इकाइयों पर कई गुना कार्यभार बढ़ गया है। इसी का परिणाम है कि राज्य की मातृ मृत्यु दर 517 से घटकर 258 प्रति लाख जीवित जन्म हो गयी है। यदि हम राजकीय इकाइयों पर हो रहे संस्थागत प्रसवों के भार का विश्लेषण करें तो लगभग 19 प्रतिशत प्रसव उपकेन्द्रों पर, 18.7 प्रतिशत जिला चिकित्सालयों पर एवं 62.3 प्रतिशत ब्लॉक स्तरीय इकाइयों पर हो रहे हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों पर अत्यधिक प्रसव भार है और उन्हें अतिरिक्त संसाधनों, सहयोग व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष अतिरिक्त प्रसव इकाइयाँ क्रियाशील किये जाने की भी आवश्यकता है।

प्रदेश में समग्र सूचकांकों के आधार पर अपेक्षाकृत कमजोर 25 जनपदों को उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों (HPD) के रूप में चिन्हित किया गया है। यह ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों वाले जनपद हैं जहाँ पर प्रजनन दर, मातृ एवं शिशु रुग्णता दर और मृत्यु दर अधिक होती है तथा समाज के कमजोर एवं गरीब वर्गों के लिये एकसमान पहुँच बनाये रखने के लिये एवं उन जनपदों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने वाली योजनायें बनाने की आवश्यकता है। इन 25 जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RMNCH+A की रणनीति लागू की गयी है जिससे सभी के लिये, विशेष रूप से कमजोर एवं दूर दराज वाले वर्गों के लिये, सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा सकें। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवायें एवं मानव संसाधन के लिये “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” की व्यवस्था निम्न प्रकार है—

1. एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम० द्वारा अपने उपकेन्द्र पर प्रसव कराने पर “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” (एफ०आर० कोड—ए.8.1.8)

आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 20,521 उपकेन्द्र स्थापित हैं किन्तु वर्ष 2013-14 की माह दिसम्बर की के०पी०आई० त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार मात्र 1923 उपकेन्द्र ही प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील हैं (जिन पर औसतन 3 या अधिक प्रसव प्रतिमाह सम्पादित हो रहे हैं) अतः ऐसे उपकेन्द्रों को जो प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील नहीं हैं उन्हें क्रियाशील बनाने एवं क्रियाशील केन्द्रों पर अधिक प्रसव कराने हेतु एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम० को प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक उपकेन्द्रों को क्रियाशील बनाने एवं अधिक से अधिक ए०एन०एम० को एस०बी०ए० प्रशिक्षण प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” की व्यवस्था निम्नानुसार स्वीकृत की है। यदि एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम० उपकेन्द्र पर प्रतिमाह औसतन 5 से अधिक प्रसव सम्पादित कराती है एवं यह सुनिश्चित करती है कि प्रसव उपरान्त माँ कम से कम 6 घण्टे प्रसव केन्द्र (उपकेन्द्र) में ही रुके तो उसे प्रति माह छठे प्रसव से रू०— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह प्रोत्साहन राशि उसको तभी देय होगी जब—

- वह माता एवं शिशु का पंजीकरण एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर कराती है, प्रसव से 42 दिन तक माँ एवं शिशु स्वस्थ रहते हैं, एवं नवजात शिशु का जन्म प्रमाण—पत्र बनवाकर माता को दिया जाता है।

nsf

- ए0एन0एम0 का एस0बी0ए0 प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा जो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- यह प्रोत्साहन धनराशि प्रतिमाह आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने की व्यवस्था के साथ ही वितरित की जायेगी। इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन (एम0सी0टी0एस0 पोर्टल, प्रसव इकाई के रिकार्ड) ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से न कर लिया जाये।

वित्तीय व्यवस्था— इस मद में भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में 60,000 अतिरिक्त प्रसवों पर यह प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है जिसके लिये जनपदवार फांट संलग्न कर रू0 300.00 प्रति प्रसव की दर से कुल धनराशि रू0—180.00 लाख अवमुक्त की जा रही है।

2. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा APHC/PHC पर प्रसव कराने पर “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” (एफ0आर0 कोड—ए.8.1.8)

प्रदेश में काफी कम संख्या में **APHC/PHC** प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील हैं। अतः ऐसे **APHC/PHC** जो प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील नहीं हैं उन्हें क्रियाशील बनाने एवं क्रियाशील केन्द्रों पर अधिक प्रसव कराने हेतु एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स को प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक केन्द्रों को क्रियाशील बनाने एवं अधिक से अधिक ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स को एस0बी0ए0 प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” की व्यवस्था निम्नानुसार स्वीकृत की है जिनके अनुसार :-

यदि एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स अतिरिक्त प्रा0स्वा0के0/प्रा0स्वा0के0 पर प्रतिमाह 15 से अधिक प्रसव सम्पादित कराती है साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रसव उपरान्त प्रसूता कम से कम 48 घण्टे प्रसव केन्द्र में ही रुके तो उसे 16वें प्रसव से रू0— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह प्रोत्साहन राशि उसको तभी देय होगी जब -

- वह माता एवं शिशु का पंजीकरण एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर कराती है, प्रसव से 42 दिन तक माँ एवं शिशु स्वस्थ रहते हैं।
- ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स का एस0बी0ए0 प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा जो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- यह प्रोत्साहन धनराशि प्रति माह आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने की व्यवस्था के साथ ही वितरित की जायेगी। इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन (एम0सी0टी0एस0 पोर्टल, प्रसव इकाई के रिकार्ड) ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से न कर लिया जाये।

वित्तीय व्यवस्था— इस मद में भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में 12,000 अतिरिक्त प्रसवों पर यह प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है जिसके लिये जनपदवार फांट संलग्न कर रू0 300.00 प्रति प्रसव की दर से कुल धनराशि रू0—36.00 लाख अवमुक्त की जा रही है।

3. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा Non FRU CHC/BPHC पर प्रसव कराने पर “प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन धनराशि” (एफ0आर0 कोड—ए.8.1.8)

यदि एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स Non FRU CHC/BPHC पर प्रतिमाह औसतन 50 से अधिक प्रसव सम्पादित कराती है साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रसव उपरान्त माँ कम से कम 48 घण्टे प्रसव केन्द्र में ही रुके एवं नवजात शिशु को बी0सी0जी0/ओ0पी0वी0 एवं हेपेटाइटिस-बी की शून्य खुराक दे दी जाये तो उसे 51वें प्रसव से रू0— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह प्रोत्साहन राशि उसको तभी देय होगी जब -

- वह माता एवं शिशु का पंजीकरण एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर कराती है, प्रसव से 42 दिन तक माँ एवं शिशु स्वस्थ रहते हैं।
- ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स का एस0बी0ए0 प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा जो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

ms

- 3/-

- यह प्रोत्साहन धनराशि प्रति माह आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने की व्यवस्था के साथ ही वितरित की जायेगी। इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ए०एन०एम०/स्टाफ नर्स द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन (एम०सी०टी०एस० पोर्टल, प्रसव इकाई के रिकार्ड) ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से न कर लिया जाये।

वित्तीय व्यवस्था— इस मद में भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में 210,000 अतिरिक्त प्रसवों पर यह प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है जिसके लिये जनपदवार फांट संलग्न कर रु० 300.00 प्रति प्रसव की दर से कुल धनराशि रु०—630.00 लाख अवमुक्त की जा रही है।

4. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग:—

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रसव इकाइयों पर इस उपलिब्ध आधारित प्रोत्साहन धनराशि योजना के क्रियान्वयन हेतु अद्यतन दिशा-निर्देश अवश्य पहुँचा दें।
- जनपद में अधिक से अधिक संख्या में ए०एन०एम० व स्टाफ नर्सों को एस०बी०ए० प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी दशा में यह प्रोत्साहन धनराशि उन ए०एन०एम० व स्टाफ नर्सों को देय नहीं होगी जिन्होंने एस०बी०ए० प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
- आगामी माह की 01 तारीख तक जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की इस प्रोत्साहन धनराशि के आबंटन की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक-2) पर ब्लॉक से मंगा ले एवं दिनांक 05 तक जनपदों में तैनात टी०एस०यू० के एम० एण्ड ई० प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दें।

5. **वित्तीय व्यवस्था**— उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में प्रसव इकाइयों पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर०ओ०पी० में स्वीकृत धनराशि का सारांश इस प्रकार है—

क्रम सं०	गतिविधि	एफ०एम०आर० संख्या	लक्ष्य	दर	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख में)
जनपद स्तर पर स्वीकृत धनराशि						
1	एच०पी०डी० जनपदों में— एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम० के लिये— उपकेन्द्र पर प्रति माह छठवें प्रसव से	A.8.1.8	60,000 प्रसव	रु०—300 / संस्थागत प्रसव	180.00	180.00
2	एच०पी०डी० जनपदों में— एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम०/स्टाफ नर्स के लिये— ए०पी०एच०सी०/ पी०एच०सी० पर प्रति माह सोलहवें प्रसव से	A.8.1.8	12,000 प्रसव	रु०—300 / संस्थागत प्रसव	36.00	36.00
3	एच०पी०डी० जनपदों में— एस०बी०ए० प्रशिक्षित ए०एन०एम०/स्टाफ नर्स के लिये— बी०पी०एच०सी०/ नॉन एफ०आर०यू० सी०एच०सी० पर प्रति माह 51वें प्रसव से	A.8.1.8	2,10,000 प्रसव	रु०—300 / संस्थागत प्रसव	630.00	630.00
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि					846.00	846.00

एस०बी०ए० प्रशिक्षण प्राप्त ए०एन०एम०/स्टाफ नर्सों को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव एफ०एम०आर० कोड—A.8.1.8 के अन्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की जनपदवार फांट संलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।

उपर्युक्त क्रम में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि—

- किसी भी कर्म को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।

208

-4/-

- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे, अतः समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांक- मा0शि0क0/संस्थागत प्रसव-प्रोत्साहन/दिशा-निर्देश/2014-15/
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 98800-4 तददिनांक।

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 7 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्तचिकित्सालय, उ0प्र0।
- 8 महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9 वित्त नियंत्रक-एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
- 11 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक
मातृ शिशु कल्याण

Performance Based Incentives - district allocation of targets and funds 2014-15

				For Both HPD/NHPDs		HPDs						Total B			
Dist no	Division	District	HPD/N HPD	Target of ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries	Budget for ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries @ Rs. 1000/- per Delivery	Target of ND For ANMs at L1 SCS from 6th Del every month	For ANMs at L1 SCS from 6th Del every month @Rs 300/del	Target of ND For ANMs/SNs at APHC/PHC s starting from 16th Del every month	For ANMs/SNs at APHC/PH Cs starting from 16th Del every month @Rs 300/del	Target For ANMs/SNs at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del	For ANMs/SNs at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del				
FMR Code No.				A.8.1.8											
1	Agra	Agra	NHPD	608	6.08	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
2	Agra	Firozabad	NHPD	76	0.76	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
3	Agra	Mainpuri	NHPD	715	7.15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4	Agra	Mathura	NHPD	2187	21.87	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
5	Aligarh	Aligarh	NHPD	649	6.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
6	Aligarh	Etah	HPD	484	4.84	484	1.5	0	0.0	1507	4.5	0	4.5		
7	Aligarh	Hathras	NHPD	268	2.68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8	Aligarh	Kasganj	HPD	402	4.02	898	2.7	0	0.0	5195	15.6	0	15.6		
9	Allahabad	Allahabad	HPD	1042	10.42	7601	22.8	888	2.7	13355	40.1	0	40.1		
10	Allahabad	Fatehpur	NHPD	803	8.03	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11	Allahabad	Kaushambi	HPD	200	2	893	2.7	172	0.5	9598	28.8	0	28.8		
12	Allahabad	Pratapgarh	NHPD	1065	10.65	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13	Azamgarh	Azamgarh	NHPD	510	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14	Azamgarh	Ballia	NHPD	693	6.93	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
15	Azamgarh	Mau	NHPD	384	3.84	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16	Bareilly	Bareilly	HPD	226	2.26	640	1.9	0	0.0	9687	29.1	0	29.1		
17	Bareilly	Budaun	HPD	713	7.13	1659	5.0	687	2.1	14744	44.2	0	44.2		
18	Bareilly	Pilibhit	HPD	270	2.7	212	0.6	419	1.3	5309	15.9	0	15.9		
19	Bareilly	Shahjahanpur	HPD	1004	10.04	791	2.4	61	0.2	9218	27.7	0	27.7		
20	Basti	Basti	NHPD	539	5.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
21	Basti	Siddharth Nagar	HPD	299	2.99	4161	12.5	750	2.3	5818	17.5	0	17.5		
22	Basti	SK Nagar	HPD	766	7.66	5905	17.7	1091	3.3	4406	13.2	0	13.2		
23	Chitrakoot	Banda	NHPD		0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
24	Chitrakoot	Chitrakoot	NHPD	139	1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
25	Chitrakoot	Hamirpur	NHPD		0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
26	Chitrakoot	Mahoba	NHPD	35	0.35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
27	Faizabad	Ambedkar Nagar	NHPD	1932	19.32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
28	Faizabad	Amethi	NHPD	652	6.52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
29	Faizabad	Barabanki	HPD	789	7.89	5325	16.0	0	0.0	10292	30.9	0	30.9		
30	Faizabad	Faizabad	HPD	980	9.8	3572	10.7	1265	3.8	3820	11.5	0	11.5		
31	Faizabad	Sultanpur	NHPD	775	7.75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

				For Both HPD/NHPDs		HPDs							Total Budget		
Dist no	Division	District	HPD/N HPD	Target of ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries	Budget for ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries @ Rs. 1000/- per Delivery	Target of ND For ANMs at L1 SCs from 6th Del every month	For ANMs at L1 SCs Del every month @Rs 300/del	Target of ND For ANMs/SNs at APHC/PHCs starting from 16th Del every month	For ANMs/SNs at APHC/PHCs starting from 16th Del every month @Rs 300/del	Target For ANMs/SNs at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del	For ANMs/SNs at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del				
FMR Code No.				A.8.1.8											
32	Gonda	Bahraich	HPD	939	9.39	3636	10.9	1356	4.1	11133	33.4	57.765			
33	Gonda	Balrampur	HPD	1244	12.44	2264	6.8	16	0.0	6014	18.0	37.322			
34	Gonda	Gonda	HPD	731	7.31	2573	7.7	269	0.8	10139	30.4	46.253			
35	Gonda	Shrawasti	HPD	211	2.11	2132	6.4	345	1.0	9363	28.1	37.630			
36	Gorakhpur	Deoria	NHPD	712	7.12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7.120			
37	Gorakhpur	Gorakhpur	NHPD	551	5.51	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.510			
38	Gorakhpur	Kushinagar	NHPD	1056	10.56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10.560			
39	Gorakhpur	Maharajganj	HPD	522	5.22	2545	7.6	0	0.0	10054	30.2	43.017			
40	Jhansi	Jalaun	NHPD	334	3.34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.340			
41	Jhansi	Jhansi	NHPD	413	4.13	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.130			
42	Jhansi	Lalitpur	NHPD	120	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.200			
43	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	NHPD	551	5.51	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.510			
44	Kanpur Nagar	Auraiya	NHPD	41	0.41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.410			
45	Kanpur Nagar	Etawah	NHPD	410	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.100			
46	Kanpur Nagar	Farrukhabad	HPD	513	5.13	219	0.7	0	0.0	3327	10.0	15.768			
47	Kanpur Nagar	Kannauj	HPD	346	3.46	1622	4.9	249	0.7	4125	12.4	21.448			
48	Kanpur Nagar	Kanpur Dehat	NHPD	337	3.37	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.370			
49	Lucknow	Hardoi	HPD	2453	24.53	483	1.4	156	0.5	13783	41.3	67.796			
50	Lucknow	Lakhimpur Kheri	HPD	1235	12.35	3855	11.6	1124	3.4	12408	37.2	64.511			
51	Lucknow	Lucknow	NHPD	164	1.64	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.640			
52	Lucknow	Raibareilly	NHPD	378	3.78	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.780			
53	Lucknow	Sitapur	HPD	449	4.49	1065	3.2	1437	4.3	21333	64.0	75.995			
54	Lucknow	Unnao	NHPD	362	3.62	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.620			
55	Merrut	Baghpat	NHPD	252	2.52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.520			
56	Merrut	Bulandshair	NHPD	47	0.47	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.470			
57	Merrut	GB Nagar	NHPD	135	1.35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.350			
58	Merrut	Ghazabad	NHPD	712	7.12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7.120			
59	Merrut	Hapur	NHPD	1059	10.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10.590			
60	Merrut	Meerut	NHPD	706	7.06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7.060			
61	Mirzapur	Bhadohi	NHPD	911	9.11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9.110			
62	Mirzapur	Mirzapur	HPD	1523	15.23	2837	8.5	663	2.0	7047	21.1	46.871			
63	Mirzapur	Sonhadra	HPD	1227	12.27	3653	11.0	1052	3.2	3308	9.9	36.305			
64	Moradabad	Amroha	NHPD	391	3.91	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.910			
65	Moradabad	Bijnor	NHPD	488	4.88	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.880			

not

				For Both HPD/NHPDs		HPDs						Total Budget
Dist no	Division	District	HPD/N HPD	Target of ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries	Budget for ND at Home by SBA ANMs in identified villages with <20 % institutional deliveries @ Rs. 1000/- per Delivery	Target of ND For ANMs at L1 SCS from 6th Del every month	For ANMs at L1 SCS from 6th Del every month @Rs 300/del	Target of ND For ANMs/SNS at APHC/PHCs starting from 16th Del every month	For ANMs/SNS at APHC/PHCs starting from 16th Del every month @Rs 300/del	Target For ANMs/SNS at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del	For ANMs/SNS at BPHCs/non FRU CHCs starting from 51st Del every month @Rs 300/del	
FMR Code No.				A.8.1.8								
66	Moradabad	Moradabad	NHPD	2064	20.64	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,640
67	Moradabad	Rampur	HPD	1432	14.32	975	2.9	0	0.0	5017	15.1	32,296
68	Moradabad	Sambhal	NHPD	1824	18.24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18,240
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	NHPD	555	5.55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,550
70	Saharanpur	Saharanpur	NHPD	252	2.52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,520
71	Saharanpur	Shamli	NHPD	85	0.85	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0,850
72	Varanasi	Chandauli	NHPD	482	4.82	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,820
73	Varanasi	Ghazipur	NHPD	602	6.02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,020
74	Varanasi	Jaunpur	NHPD	1941	19.41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19,410
75	Varanasi	Varanasi	NHPD	35	0.35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0,350
				50000	500.00	60000	180.00	12000	36.00	210000	630.00	1346,000

98/

[illegible][illegible]